3-3-21	पत्रावली पेश हो अधिभाषक की पक्षकार उपस्थित कोर्ट पेश करें ~~समय शेष~~ रहा पत्रावली 17-3-21 को पेश हो।	
17-3-21	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी अवकाश पर है ~~राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है।~~ ~~अन्य कार्य में व्यस्त~~ है। अभिभाषणगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 8-4-21 को पेश हों।	
8-4-2021 IPR 297 30/4/21	पत्रावली पेश हुई वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 मय अधिवक्ता उपस्थित। बंटवारा पत्र राजीनामा अनुसार रास्ता बाबत नजरी नक्शा सहमति के हस्ताक्षर कर पेश किया [illegible] किया गया। वादीगण व प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत राजीनामा बंटवारा पत्र स्वीकार कर तस्दीक किया जाता है। वादीगण का वाद-पत्र राजीनामानुसार स्वीकार कर अन्तिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व तदनुसार आज्ञप्ति डिक्री जारी की गई। पत्रावली ~~[illegible]~~ बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	रामकंवार रघुवीर कुमार किशन सिंह ओमप्रकाश।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डेरी (बून्दी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.06.10 14:56:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी, जिला बून्दी (राज0)

वाद सं0 16/दावा/20 | पीठासीन अधिकारी
दायरा दिनांक 24.02.2020 | श्री प्रमोद कुमार(R.A.S.)

1 ओमप्रकाश आ0 रामकुवांर जांति मीणा निवासी रघुनाथपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
2 किशन बिहारी आ0 रामकुवांर जाति मीणा निवासी रघुनाथपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
3 रघुवीर आ0 रामकुवांर जाति मीणा निवासी रघुनाथपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0

वादीगण

//बनाम//

1 रामकुवांर आ0 हजारी लाल जाति मीणा निवासी रघुनाथपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
2 ममता बाई पुत्री रामकुवांर जाति मीणा निवासी रघुनाथपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
3 स्टेट ऑफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ़

प्रतिवादीगण

<u>वाद – घोषणा व बंटवारा भूमि अर्न्तगत</u>
धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय | दिनांक 08.04.2021

वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत कर कथन किया कि कृषि भूमि खसरा संख्या सं. 263 रकबा 1.96 है, खसरा सं 264 रकबा 3.19 है, खसरा सं 530/201 रकबा [illegible] है कुल किता 3 कुल रकबा 6.77 है वाके ग्राम रघुनाथपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0 मे विस्थित है जिसका खातेदार टीनेन्ट प्रतिवादी संख्या 1 है और काबिज होकर काश्तकारी करता

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.06.10 14:56:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned by CamScanner

आ रहा है लेकिन यह कृषि भूमि पुश्तैनी होने के कारण प्रत्येक वादीगण का 1/4 हिस्सा बनता है एवं प्रतिवादी संख्या का भी 1/4 हिस्सा है इसलिए वादीगण को इस कृषि भूमि का बंटवारा प्राप्त करने का अधिकार है। कृषि भूमि पुश्तैनी है और पुश्तैनी सम्पति में पुत्रो का जन्म से ही अधिकार निहित है इसलिए वादीगण को पुश्तैनी कृषि भूमि में सहखातेदार होने व बंटवारा करवाने का अधिकार है क्योंकि वादीगणों को अपने परिवार का खर्चा चलाने के लिये रूपयों की आवश्यकता है इसलिए उक्त कृषि भूमि का बंटवारा करवाने के लिए वादीगणों ने प्रतिवादी से कहा कि उक्त कृषि भूमि का बंटवार करवाले लेकिन प्रतिवादी ने कोई ध्यान नही दिया इसलिए वादीगणों को अपने हिस्से के अनुसार माननीय न्यायालय से विधिवत रूप से घोषणा व बंटवारा प्राप्त करने का अधिकार है। वादीगण द्वारा 30/01/2020 को प्रतिवादी को कहा कि कृषि भूमि का बंटवारा करवाले लेकिन प्रतिवादी द्वारा मना कर दिया गया, यही वाद कारण है। प्रतिवादी संख्या 2 को फोरमल पक्षकार बनाया गया है जो मीना जाति से है मीणा जाति में पुत्री का कोई अधिकार नही होता है। और अन्त में निवेदन किया गया कि वाद वर्णित कृषि भूमि पैतृक होने से वादीगण 1 लगायत 3 को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर पृथक – पृथक बटवारा कर राजस्व रिकार्ड में पृथक–पृथक खाता कायम किए जाने की डिक्री फरमायी जावें।

वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 बावजूद तामील सम्मन अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से इकबालिया जवाब दावा व राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वाद पत्र कि समस्त चरणों को स्वीकार करते हुए वाद डिक्री किए जाने पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.06.10 14:56:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned by CamScanner

कोई आपत्ति व एतराज नही किया गया। वादीगण ने अपने वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य नकल जमाबन्दी सम्वत 2074–77, खसरा मिलान क्षेत्रफल 01.04.1995 –31.03.2015, मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2022–2041, जमाबन्दी पंचशाला मौजा रघुनाथपुरा एवं नक्शा पेश की गई। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिनांक 06.01.2021 को प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वादीगण 1 लगायत 3 व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य वाद वर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या सं. 263 रकबा 1.96 है, खसरा सं 264 रकबा 3.19 है, खसरा सं 530/201 रकबा 1.62 है कुल किता 3 कुल रकबा 6.77 है वाके ग्राम रघुनाथपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0 मे विस्थित भूमि में से आपसी सहमति से बटंवारा पत्र सलग्न नजरी नक्शा पेश किया गया जिसके अनुसार वादी संख्या 1 ओमप्रकाश के हिस्से में खसरा नं0 263 रकबा 1.96 हैक्टेयर में से 0.65 हैक्टेयर, खसरा नं0 264 रकबा 3.19 हैक्टेयर में से 1.06 हैक्टेयर खसरा किता 2 योग रकबा 1.71 हैक्टेयर भूमि पूर्व व पश्चिम के मध्य के बीच की रहेगी। वादी संख्या 2 किशन बिहारी के हिस्से में खसरा नं0 263 रकबा 1.96 हैक्टेयर में से 0.66 हैक्टेयर, व खसरा नं0 264 रकबा 3.19 हैक्टेयर में से 1.06 हैक्टेयर किता 2 कुल योग रकबा 1,72 हैक्टेयर भूमि पश्चिम साइड की रहेगी। तथा वादी संख्या 3 रघुवीर के हिस्से में खसरा नं0 263 रकबा 1.96 हैक्टेयर में से 0.65 हैक्टेयर, व खसरा नं0 264 रकबा 3.19 हैक्टेयर में से 1.07 हैक्टेयर किता 2 योग रकबा 1.72 हैक्टेयर भूमि पूर्व साइड की रहेगी एवं प्रतिवादी संख्या 1 रामकुवार आ0 हजारी लाल के हिस्से में खसरा नं0 530/201 रकबा 1.62 हैक्टेयर किता 1 योग रकबा 1.62 हैक्टेयर बटंवारे में रहेगी।

हमारे द्वारा उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। वादीगण के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस कथन किया गया कि वादीगण को पेतृक सम्पति में

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.06.10 14:56:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned by CamScanner

जन्म से ही अधिकार होने व हिस्सेनुसार बटंवारा कराने का अधिकार प्राप्त होने से प्रस्तुत सहमति राजीनामा अनुसार वादीगण को सहखातेदार घोषित किया जाकर बटंवारा पत्र सलंग्न नजरी नक्शा अनुसार पृथक–पृथक बटंवारा कर राजस्व रिकार्ड में पृथक से खाते कायम किए जावें। अन्तिम डिक्री जारी करने बाबत् वादीगण के अधिवक्ता द्वारा पूर्व न्यायिक दृष्टान्त R.R.D. 1981 page no.512, R.R.T 2002 (2) page no 1124, R.R.D. 1989 page no 547, RBJ (25) 2018 page no. 634 पेश किये गए। प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा सहमति राजीनामा बटवारा पत्र सलंग्न नजरी नक्शा अनुसार बटंवारा किए जाने पर कोई आपत्ति नही कर सहमति जाहिर की गई।

हमारे द्वारा उभयपक्षो के अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा वादीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत पूर्व न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से स्पष्ट है कि वाद वर्णित आराजी पैतृक कृषि भूमि है पैतृक सम्पति मे जन्म से ही अधिकार प्राप्त होता है। अतः वादीगण पैतृक कृषि भूमि मे से अपने–अपने हिस्सेनुसार कृषि भूमि प्राप्त करने के अधिकारी है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 जाति से मीणा है जो अनूसुचित जनजाति के तहत आती है तथा अनुसूचित जनजाति पर हिन्दु उतराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नही होते है ब्लकि ओल्ड हिन्दु लॉ लागू होता है जिसके अनुसार पुत्रियों का पैतृक सम्पति मे कोई अधिकार नही होता है अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया [illegible] अन्तिम डिक्री किया जाता है कि वादवर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या सं. 263 [illegible] 1.96 है, खसरा सं 264 रकबा 3.19 है, खसरा सं 530/201 रकबा 1.62 है कुल किता 3 कुल रकबा 6.77

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.06.10 14:56:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned by CamScanner

हैक्टेयर वाके ग्राम रघुनाथपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0 मे विस्थित कृषि भूमि में वादीगण 1 लगायत 3 को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ प्रत्येक का हिस्सा 1/4 – 1/4 का सहखातेदार कृषक घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 2 का नाम राजस्व रिकार्ड से विलोपित किया जाता है। राजीनामा सहमति बटंवारा पत्र सलंग्न नजरी नक्शा अनुसार निम्नांकित पृथक–पृथक बटंवारा किया जाता है सहमति बटंवारा अनुसार खसरा नं0 263/1 रकबा 0.65 हैक्टेयर, खसरा नं0 264/1 रकबा 1.07 हैक्टेयर, किता 2 योग रकबा 1.72 हैक्टेयर पूर्वी साइड वादी संख्या 3 रघुवीर आ0 रामकुवांर के हिस्से में, खसरा नं0 263/2 रकबा 0.65 हैक्टेयर, खसरा नं0 264/2 रकबा 1.06 हैक्टेयर कुल किता 2 योग रकबा 1.71 हैक्टेयर कृषि भूमि मध्य में वादी संख्या 1 ओमप्रकाश आ0 रामकुवार के हिस्से में खसरा नं0 263/3 रकबा 0.66 हैक्टेयर, खसरा नं0 264/3 रकबा 1.06 हैक्टेयर कुल किता 2 योग रकबा 1.72 हैक्टेयर पश्चिम साइड, वादी संख्या 2 किशनबिहारी आ0 रामकुवार के हिस्से मे रहेगी तथा खसरा नं0 530/201 रकबा 1.62 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 रामकुवार आ0 हजारीलाल के हिस्से मे रहेगी। रास्ता सहमति राजीनामा बटंवारा पत्र सलग्ंन नजरी नक्शे अनुसार रहेगा। एवं प्रस्तुत राजीनामा बटवारा पत्र संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। तदनानुसार अन्तिम डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफंतर हो।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 08.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.06.10 14:56:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

आन्तिम डिक्री ब मुकद्दमें इब्तदाई

(O 20,Rr 6,7)

(civil Procedure Code Appendix D)

अज अदालत ....उपखण्ड अधिकारी.................................... मुकाम..........................लाखेरी..............................
व इजलास.........श्री प्रमोद कुमार (आर. ए. एस.)..

1ओमप्रकाश आ0 रामकुवार जाति मीणा निवासी रघुनाथपुरा तहसील इन्द्रगढ़ वगैरह (वादीगण)

बनाम

1 रामकुंवार आ0 हजारी लाल जाति मीणा निवासी रघुनाथपुरा तहसील इन्द्रगढ़ वगैरह (प्रतिवादीगण).

दावा बाबत 53 आर0 टी0 एक्ट एक्ट ....

मुकदमा नम्बर......................................16/दावा/20..................................सन.....................2020......................

....यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..........हमरे..व हाजिरी

.....श्री महेन्द्र कुमार रेबारी एडवोकेट ....मिनजानिब मुद्दई रूबरू.................~~पैसेकार सरकार~~ श्री अब्दुल सत्तार [illegible]

....मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व ड़िगरी दी जाती है कि वादीगण का वाद पत्र स्वीकांर किया जाकर अन्तिम डिक्री किया जाता है कि वादवर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या सं. 263 रकबा 1.96 है, खसरा सं 264 रकबा 3.19 है, खसरा सं 530/201 रकबा 1.62 है कुल किता 3 कुल रकबा 6.77 हैक्टेयर वाके ग्राम रघुनाथपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0 मे विस्थित कृषि भूमि में वादीगण 1 लगायत 3 को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ प्रत्येक का हिस्सा 1/4 – 1/4 का सहखातेदार कृषक घोषित किया ज़ाता है तथा प्रतिवादी संख्या 2 का नाम राजस्व रिकार्ड से विलोपित किया जाता है। राजीनामा सहमति बटंवारा पत्र सलंग्न नजरी नक्शा अनुसार निम्नांकित पृथक–पृथक बटंवारा किया जाता है सहमति बटंवारा अनुसार खसरा नं0 263/1 रकबा 0.65 हैक्टेयर, खसरा नं0 264/1 रकबा 1.07 हैक्टेयर, किता 2 योग रकबा 1.72 हैक्टेयर पूर्वी साइड वादी संख्या 3 रघुवीर आ0 रामकुवांर के हिस्से में, खसरा नं0 263/2 रकबा 0.65 हैक्टेयर, खसरा नं0 264/2 रकबा 1.06 हैक्टेयर कुल किता 2 योग रकबा 1.71 हैक्टेयर कृषि भूमि मध्य में वादी संख्या 1 ओमप्रकाश आ0 रामकुवार के हिस्से में खसरा नं0 263/3 रकबा 0.66 हैक्टेयर, खसरा नं0 264/3 रकबा 1.06 हैक्टेयर कुल किता 2 योग रकबा 1.72 हैक्टेयर पश्चिम साइड, वादी संख्या 2 किशनबिहारी आ0 रामकुवार के हिस्से मे रहेगी तथा ख़सरा नं0 530/201 रकबा 1.62 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 रामकुवार आ0 हजारीलाल के हिस्से मे रहेगी। रास्ता सहमति राजीनामा बटंवारा पत्र सलग्न नजरी नक्शे अनुसार रहेगा। एवं प्रस्तुत राजीनामा बटवारा पत्र संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा।..

.... निज...मुबलिग...बाबत...........

....खर्चा इन मुकद्दमें के मय सूद बशरह ....

फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

सब मेरे दस्तख[illegible] से आज तारीख......08......माह.. ..04... सन...

2021.........................को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.06.10 14:56:36 IST
Reason: SelfAttested

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

दस्तख़त

ओहदा मुद्दर	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
मुद्दई			1.स्टाम्प अर्जीदावा		
1.स्टाम्प अर्जीदावा			2.स्टाम्प अर्जी		
2.स्टाम्प वकालतनामा			3.महनताना वकील		
3.स्टाम्प वजह सबूत			4.खर्चा गवाहॉन		
4.महनताना वकील			5.फीस कमिश्नर		
5.खर्चा गवाहॉन			6.बाबत इजराय हुक्मनामा		
6.फीस कमिश्नर			7.मुत्तफरिक		
7.बाबत इजराय हुक्मनामा			मीजान		
मीजान					

नोट – इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिग्री के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

Scanned by CamScanner

2 किशन बिहारी आ0 रामकुवांर जाति मीणा निवासी रघुनाथपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0

3 रघुवीर आ0 रामकुवांर जाति मीणा निवासी रघुनाथपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0

वादीगण

//बनाम//

2 ममता बाई पुत्री रामकुवांर जाति मीणा निवासी रघुनाथपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0

3 स्टेट ऑफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ़

प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.06.10 14:56:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner